

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर

पीअरसीन अधिकारी-श्री सुभाष कुमार (आर.ए.एस)

मु0न0 - 257/2019

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र सुखविन्द्र सिंह पुत्र तारा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 39 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. प्रभित सिंह पुत्र मनजीत सिंह पुत्र तारा सिंह, नाबालिग जरीये कुदरतीवली माता श्रीमति कमलजीत कौर पत्नि मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 39 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

COMPARED BY ME

-वादीगण-

वनाग

1. तारा सिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जटसिख निवासी चक 39 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखवीर कौर पुत्री तारा सिंह पत्नि गुरप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. सुखविन्द्र सिंह पुत्र तारा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 39 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. मनजीत सिंह पुत्र तारासिंह जाति जटसिख निवासी चक 39 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

-प्रतिवादीगण -

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीए

निर्णय

दिनांक:- 3/1/20

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण के दादा प्रतिवादी सं0 1 तारा सिंह के नाम कृषि भूमि चक 39 बीबी के खाता सं0 39/35 के मुरबा नं0 21 के 3.036 है0 व मुरबा नं0 40 के किला नं0 1/0.063, 25/2 में 0.063 है0 कुल 3.226 है0 व खाता सं0 40/36 के मुरबा नं0 52 के किला नं0 16 से 25 में 2.783 है0 का 1/4 भाग दर्ज है व वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम से भूमि चक 39 बीबी खाता सं0 83 के मुरबा नं0 21 के किला नं0 19/2 से 25 में 1.581 है0 व खाता सं0 60/64 के मुरबा नं0 21 के किला नं0 1 से 7/2 में 1.581 है0 व खाता सं0 39 के मुरबा नं0 40 के किला नं0 1 से 15 में 2.973 है0 सुखविन्द्र सिंह के नाम

सिंह के नाम दर्ज है व खाता सं० 40/36 के मुरबा नं० 52 में 2.783 है० का 1/4 भाग वादीगण की बुआ प्रतिवादी सं० 4 के नाम दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त सम्पति जो कि संयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमें वादीगण जो कि प्रतिवादी सं० 1 के पोते है वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा अनुसार संयुक्त परिवार की भूमि में उनके हिस्सा अनुसार काश्त के लिए भूमि दी हुई है, जो निम्न प्रकार से वादीगण काश्त कर रहे हैं।

COMPARED BY ME

1. वादी सं० 1 सुरेन्द्र सिंह के कब्जा काश्त में :- मुरबा नं० 21 के किला नं० 11/0. 139, 12/0.139, 13/0.139, 14/0.140, 15/0.139, 16/0.253, 17/0.253, 18/0.253, 19/1/0.063 कुल 1.518 है०
2. वादी सं० 2 प्रमित सिंह के कब्जा काश्त में :- मुरबा नं० 21 के किला नं० 7/1/0.190, 8/0.253, 9/0.253, 10/0.253, 11/0.114, 12/0.144, 13/0.114, 14/0.113, 15/0.114 है० कुल 1.518 है०

वादीगण उक्त अनुसार अपने अपने हिस्सा की भूमि काश्त कर रहे है। वादी घरू बंटवारा भूमि अपने नाम कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे। जो ये ही वाद का कारण है। वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री कर निम्नानुसार वादीगण को भूमि का मालिक घोषित किया जावें।

1. वादी सं० 1 सुरेन्द्र सिंह के कब्जा काश्त में :- मुरबा नं० 21 के किला नं० 11/0. 139, 12/0.139, 13/0.139, 14/0.140, 15/0.139, 16/0.253, 17/0.253, 18/0.253, 19/1/0.063 कुल 1.518 है०
2. वादी सं० 2 प्रमित सिंह के कब्जा काश्त में :- मुरबा नं० 21 के किला नं० 7/1/0.190, 8/0.253, 9/0.253, 10/0.253, 11/0.114, 12/0.144, 13/0.114, 14/0.113, 15/0.114 है० कुल 1.518 है० उक्तानुसार अमलदरामद कर राजस्व लगान निर्धारित किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी सं० 1 से 4 की ओर से श्री सुभाष किनरा अधिवक्ता उपस्थित आये व

जवाब वाद पत्र सहमति का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद पत्र वादीगण (विक्रम) डिक्री किया जावें तो हमारा कोई उज्र एतराज नहीं होगा व प्रतिवादी सं० 2 की 3 अधिकारी (राज) ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवानी प्रकरण में मिकरा जो कि प्रतिवादीया है और प्रकरण में वर्णित भूमि जो मेरे पिता तारा सिंह के नाम से दर्ज है वह मेरे पिता तारा सिंह को विरास्तन प्राप्त हुई है। जो कि पैतृक सम्पति है। जिसमें कि मुझ मिकरा का भी हक बनता है। मुझ मिकरा द्वारा हक पूर्व में ही दान दहेज में उपहार स्वरूप लिया जा चुका है। इसलिए मैं मिकर अपने पिता की नाम की भूमि में से किसी तरह का हक हिस्सा प्राप्त नहीं करना

चाहती हूँ। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त अनवानी प्रकरण के वाद पत्र में वादीगण व प्रतिवादीगण का आपस में पंचायत द्वारा आपसी समझौता करवा दिया गया है। अतः राजीनामा अनुसार वाद पत्र की मद सं० 4 में बंटवारा अनुसार वादीगण द्वारा दर्ज की गई अपने हिस्सा की भूमि से हम पक्षकारान सहमत है। अब अगर इसी मद सं० 4 में दर्ज वादी सुरेन्द्र सिंह व प्रमित सिंह की भूमि के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि के संबंध में डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान का कोई उज्र एतराज नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण को राजीनामा के आधार पर तहसील पदमपुर के चक 39 बीबी की जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 में खाता सं० 39/35 में मुरबा नं० 21 के किला नं० 11/0.139, 12/0.139, 13/0.139, 14/0.140, 15/0.139, 16/0.253, 17/0.253, 18/0.253, 19/1/0.063 कुल 1.518 है० भूमि का वादी सं० 1 सुरेन्द्र सिंह पुत्र सुखविन्द्र सिंह पुत्र तारा सिंह जाति जटसिख को खातेदार मालिक घोषित किया जाता है व तहसील पदमपुर के चक 39 बीबी की जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 में खाता सं० 39/35 में मुरबा नं० 21 के किला नं० 7/1/0.190, 8/0.253, 9/0.253, 10/0.253, 11/0.114, 12/0.144, 13/0.114, 14/0.113, 15/0.114 है० कुल 1.518 है० भूमि का वादी सं० 2 प्रमित सिंह पुत्र मनजीत सिंह पुत्र तारा सिंह जाति जटसिख को खातेदार मालिक घोषित किया जाता है। यदि उक्त भूमि बैंक में रहन दर्ज हो तो खातेदारान के संयुक्त खाते में अंकित हिस्से में बदलाव की स्थिति में बैंक से एनओसी जारी होने के बाद निर्णय की पालना की जावे। खातेदारान के हक हिस्से में बदलाव न होने की दशा में संबंधित खातेदार के खाते में बैंक का रहन यथावत दर्ज रखा जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 31/1/20... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

